

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं० संख्या:- 3/अ०प्र०-01-14/2024 9347 /पटना, दिनांक :- 24.8.25

दरभंगा जिला में पी०एम०जी०एस०वाई०-3 अन्तर्गत निष्पादित निविदाओं में अनियमितता की जाँच हेतु प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में परिवाद पत्र में अंकित पैकेजों/पथों के निविदा से संबंधित अभिलेख अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल दरभंगा एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपुर, दरभंगा-1, बिरौल तथा दरभंगा-2 से प्राप्त कर मुख्य अभियंता-3 द्वारा पत्रांक 896 (अनु०) दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से विभाग को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निविदाओं के निष्पादन में पायी गयी अनियमितता के लिए श्री रामदेव चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 420 दिनांक 12.02.2024 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 578 दिनांक 13.02.2024 एवं पूरक स्पष्टीकरण पत्रांक 16 दिनांक 26.06.2024 की समीक्षा मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन से करायी गयी। मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन द्वारा समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कार्य प्रमंडल बिरौल अन्तर्गत निविदा संख्या-127633 से संबंधित निविदा कागजातों में श्री गोविन्द झा का 2018-19 में वार्षिक टर्न ओवर एवं सिविल वर्क क्रमशः 1519.27 लाख एवं 626.41 लाख है जो कि वांछित टर्न ओवर 343.79 लाख से अधिक है। अतः SBD कंडिका 4.4A (a) के आलोक में टेन्डर आई०डी०-127633 में विषयांकित निविदा को अयोग्य घोषित किया जाना उचित नहीं है। निविदा समिति के अध्यक्ष होने के नाते श्री चौधरी को निविदा कागजातों का मिलान करना चाहिए था। निविदा के परिणाम के शुद्धता के दायित्व के लिए अध्यक्ष के नाते उनकी जबाबदेही होती है। कार्य प्रमंडल, फुलपरास के निविदा संख्या-127867 (BR-21P3R-17) में तकनीकी बीड समिति की पुनः समीक्षा बैठक की कार्यवाही में निविदाकार सुमन कुमार झा द्वारा बीड वैलिडिटी नहीं बढ़ाने के कारण SBD की कंडिका-15 के आलोक में अयोग्य घोषित किया जाना एवं NKSP INFRA PVT LTD. द्वारा बीड वैलिडिटी बढ़ाने एवं न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करने के कारण योग्य घोषित किया जाना उल्लेखित है, कार्य प्रमंडल फुलपरास के द्वारा समर्पित संवेदक सुमन कुमार झा के चेकलिस्ट में उनके बीड वैलिडिटी नहीं बढ़ाने का उल्लेख है। अतएव श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पूर्णतः स्वीकारयोग्य नहीं माना जा सकता है।

4. मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन के उपर्युक्त समीक्षा एवं मंतव्य से अभियंता प्रमुख-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी।

5. उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4654 दिनांक 28.04.2025 द्वारा श्री चौधरी से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री चौधरी द्वारा पत्रांक 44 दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से समर्पित बचाव बयान की विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चौधरी द्वारा अपने बचाव बयान में आरोप को गलत नहीं बताया गया है बल्कि मुख्य रूप से निविदा के कागजातों की मिलान, चेकलिस्ट के आकड़ों की इन्ट्री के लिए प्रमंडलीय लेखापाल को जिम्मेवार बताया गया साथ ही निविदा समिति में लेखा पदाधिकारी एवं दो कार्यपालक अभियंता के होने के आधार पर स्वयं को निर्दोष बताने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः निविदा समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के उपर नियमानुसार सही तरीके से निविदा निष्पादन का दायित्व होता है।

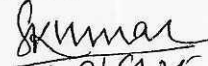
यह सामूहिक दायित्व है जिसमें किसी वरीय पदाधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया की गलती/त्रुटि के लिए मात्र कनीय कर्मी को ही जिम्मेवार ठहराया जाना उचित नहीं है।

5. मामले की समग्र समीक्षोपरान्त उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रामदेव चौधरी के विरुद्ध निन्दन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः श्री रामदेव चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, भागलपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

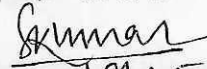
(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2023-24)

बिहार राज्यपाल के आदेश से


29/8/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

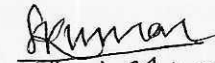
ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-14/2024 9347 /पटना, दिनांक:- 29.8.25

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


29/8/25
अवर सचिव

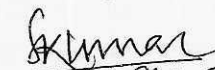
ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-14/2024 9347 /पटना, दिनांक:- 29.8.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-01-14/2024 9347 /पटना/दिनांक:- 29.8.25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-01-14/2024 9347

/पटना/दिनांक:- 29.8.25

प्रतिलिपि:- श्री रामदेव चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

S Kumar

29/8/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-14/2024 9347

/पटना/दिनांक:- 29.8.25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

S Kumar

29/8/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-14/2024 9347

/पटना/दिनांक:- 29.8.25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

S Kumar

29/8/25

अवर सचिव